



क्रमांक-F-2/SCR/FR/2025/471

दिनांक - e-Signed Date

सम्भागीय आयुक्त (समस्त),
जिला कलेक्टर (समस्त),
राजस्थान ।

विषय:-राज्य में आयोजित हो रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक-F-1/FR/2025/349 दिनांक 21/01/2025 के क्रम में।

महोदया / महोदय,

राजस्थान में दिनांक 05 फरवरी 2025 से फार्मर रजिस्ट्री के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रासंगिक पत्र के कार्यक्रमानुसार फरवरी के प्रथम, द्वितीय एवं आगामी सप्ताह में समस्त जिलों के प्रत्येक तहसील में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजन हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने बाबत निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आप द्वारा कैप चार्ट तैयार किया जाकर कैप प्लानिंग पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

राजस्थान में नवम्बर 2024 में फार्मर रजिस्ट्री का प्रूफ आफ कॉन्सेप्ट (POC) सीकर के दो राजस्व ग्रामों में किया गया एवं उसमें आई तकनीकी समस्याओं के निस्तारण उपरांत फार्मर रजिस्ट्री का पायलट रन 13 दिसंबर 2024 से संपूर्ण जिला सीकर में सफलतापूर्वक किया गया। जिसके उपरान्त फार्मर रजिस्ट्री को सम्पूर्ण राजस्थान में अभियान के रूप में लागू किया गया।

राज्य में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित शिविरों के दौरान आ रही एप्लीकेशन संबंधित तकनीकी समस्याओं के मध्यनजर शिविर कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी समस्याओं का भारत सरकार के स्तर से समाधान होने तक फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह से प्रत्येक जिले में केवल जिला मुख्यालय की तहसील में 02 ग्राम पंचायतों (02 शिविर प्रति जिला) पर ही शिविर संचालित किया जावे एवं जिले की शेष तहसीलों पर पूर्व निर्धारित शिविर कार्यक्रमों को तब तक स्थगित रखा जावे, जब तक कि केन्द्र के स्तर से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानी ना हो।

अतः अनुरोध है कि तकनीकी समस्याओं के समाधान होने तक अपने जिले के शिविर कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण करावें। फरवरी माह के तृतीय सप्ताह से प्रस्तावित आगामी शिविरों के संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा।

भवदीय

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व विभाग, जयपुर

क्रमांक- समसंख्यक / 472-496

दिनांक - e-Signed Date

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मंत्री / राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।



राजस्थान सरकार
कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर
विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर- 302001 दूरभाष नं. 0141-2373904

E-Mail:- scr-rj@nic.in || OSD.REV.FR.RAJASTHAN.GOV.IN ||

website:- www.landrevenue.rajasthan.gov.in/settlement



6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान।
8. निजी सचिव, चेयरमैन, राजस्व मण्डल अजमेर।
9. समस्त विभागध्यक्ष, राजस्थान।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंजायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
15. निजी सचिव, आयुक्त भू-प्रबंध विभाग, जयपुर।
16. निजी सचिव, आयुक्त, DOIT & C राजस्थान जयपुर।
17. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त समस्त, राजस्थान।
18. निजी सचिव, निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान।
19. विशेषाधिकारी, फार्मर रजिस्ट्री, राजस्व विभाग, जयपुर।
20. सहायक नोडल अधिकारी फार्मर रजिस्ट्री, उप निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
21. भू-प्रबंध अधिकारी समस्त, राजस्थान।
22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
23. शैलेश चतुर्वेदी (एसीपी) भू-प्रबंध विभाग जयपुर को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कैम्प स्थगन संबंधी मैसेज राज्य के कैम्प प्लानिंग पोर्टल (RJFRC) पर उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
24. श्री तरुण परिहार, ई एण्ड वाय।
25. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अरुण गर्ग)
आयुक्त -भू. प्रबन्ध विभाग
राजस्थान जयपुर